

कार्यालय मुख्य अग्निशमन  
पत्रांक:-सीएफओ / अ0सु0-1 / 2021

अधिकारी

नैनीताल / अल्मोड़ा (हल्द्वानी)  
दिनांक-मार्च 8, 2021

सेवा में,

PRINCIPAL,  
G.I.C. LAMGARA,  
VILL-KAPOT LAMGAR,  
DISTT-ALMORA, UTTARAKHAND,

विषय:- G.I.C. LAMGARA, VILL-KAPOT LAMGAR, DISTT-ALMORA, का अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किए जाने विषयक।

कृपया उपरोक्त विषयक एवं आवेदक द्वारा किए गये आवेदन पत्र सं0:11451698 दिनांक:03.03.2021 के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के निर्गत आदेश दिनांक:03.03.2021 के अनुपालन में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा G.I.C. LAMGARA, VILL-KAPOT LAMGAR, DISTT-ALMORA, का प्राथमिक अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया उक्त के अनुसार वर्तमान में निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था पाई गई।


1. परिसर में रिजर्व वाटर टैंक 03 हजार ली0 क्षमता का प्राविधान है।
2. निरीक्षण के दौरान प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा G.I.C. LAMGARA, VILL-KAPOT LAMGAR, DISTT-ALMORA, को 05 अदद एबीसी टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा0 क्षमता, 02 अदद सीओटू टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा क्षमता का प्राविधान किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न निर्देश/शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

1. संस्थान/परिसर का किसी भी कार्य दिवस में मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा NBC-2016 के Part-04 में निहित मानकों के अनुसार अग्निसुरक्षा व्यवस्था किए जाने का सुझाव दिये जाने पर पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
2. परिसर में प्रत्येक समय पानी रिजर्व रखा जाना अनिवार्य होगा।
3. प्रत्येक वर्ष निर्धारित समय में अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किए जाने पर पिछले वर्ष की अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति तथा संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों के निरीक्षण किए जाने हेतु निर्धारित जमा शुल्क की छायाप्रति भी संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।  
(नियमानुसार (10 रु0 प्रति फायर एक्सटिंग्यूशर टैस्टिंग शुल्क) निर्धारित शुल्क-(फायर सर्विस हैड 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं 60 अन्य सेवाये , 109 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण) निम्नवत माध्यम (a) E Treasury द्वारा ONLINE स्वयं ही अथवा (b) मुख्य अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा/प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा से ट्रेजरी चालान प्रमाणित करवाकर स्थानीय ट्रेजरी में जमा कराया जा सकता है)।

अतः इस कार्यालय से दिये गये निर्देश/सुझाव तथा शर्तों का पालन किए जाने एवं प्रभारी अग्निशमन अधिकारी अल्मोड़ा द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को प्रेषित संस्तुति आख्यां पत्रांक-एफ0एस0/अ0सु0-1/2020 के आधार पर G.I.C. LAMGARA, VILL-KAPOT LAMGAR, DISTT-ALMORA, को दिनांक-28.02.2022 तक अधिमोग (Occupancy) /अध्यासन किए जाने हेतु अग्निसुरक्षा दृष्टिकोण से इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

  
0-3-21

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
नैनीताल हल्द्वानी